भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1748
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946(शक) को दिया जाना है)

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर की दरों में कमी

1748. **श्री आलोक शर्मा:**
श्री प्रवीण पटेलः
श्री अनुराग शर्माः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर की दरों में कमी और मानक कटौती से मध्यम वर्ग को समग्र वित्तीय राहत के रूप में किस प्रकार लाभ होने की संभावना है;

(ख) घरेलू उपभोग पर इन कर परिवर्तनों के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या निम्न आय वर्गों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोई अतिरिक्त सुधार किए जाने की संभावना है, जो प्रस्तावित परिवर्तनों, विशेषकर कर कटौती के संबंध में, पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो सके हैं?

उत्तरः
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त विधेयक, 2025 में नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है: -

कुल आय	कर की दर
4,00,000 रु. तक	शून्य
4,00,001 रु. से 8,00,000 रु. तक	5 प्रतिशत
8,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक	10 प्रतिशत
12,00,001 रु. से 16,00,000 रु. तक	15 प्रतिशत
16,00,001 रु. से 20,00,000 रु. तक	20 प्रतिशत
20,00,001 रु. से 24,00,000 रु. तक	25 प्रतिशत
24,00,000 रु. से अधिक	30 प्रतिशत

सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे बोर्ड में स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत निवासी व्यक्ति के लिए वित्त विधेयक, 2025 में 12,00,000 रुपये तक की आय पर उपरोक्त स्लैब के अंतर्गत देय कर के बराबर राशि की छूट बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत पहले प्रदान की गई सीमांत राहत 12,00,000 रुपये से थोड़ी अधिक आय के लिए भी लागू है।

ये उपाय निष्पक्ष, न्यायसंगत प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की कामकाजी और मध्यम वर्ग की आबादी पर प्रत्यक्ष करों का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

(ख): कराधान में इन सुधारों के घरेलू उपभोग पर दीर्घावधिक प्रभाव की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट अथवा अलग उपाय नहीं हैं।

(ग): इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त विधेयक, 2025 में प्रस्तावित संशोधित कर संरचना आबादी के सभी अर्जन वर्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और इससे सभी करदाताओं को लाभ होगा।

****